



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 502]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 31, 2019/भाद्र 9, 1941

No. 502]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 31, 2019/BHADRA 9, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2019

सं. 40/2019-केन्द्रीय कर

**सा.का.नि. 617(अ).**— आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 452(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 26/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में “उन बातों के सिवाय जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है” शब्दों से आरंभ होने वाले और “समय-सीमा का विस्तार अगस्त, 2019 के 31वें दिन तक किया जाता है” शब्दों, अंकों और अक्षरों से समाप्त होने वाले भाग के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“परंतु यह कि उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिनके कारबार का मुख्य स्थान नीचे सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिले उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा-उल्लिखित राज्य में है, जुलाई, 2019 मास के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 66 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप **जीएसटीआर-7** में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से 20 सितंबर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी:-

## सारणी

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	बिहार	अररिया, किशनगंज, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, सीतामढी, शिवहर, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णियां, पश्चिम चंपारण ।
2	गुजरात	वडोदरा ।
3.	कर्नाटक	बागलकोट, बल्लारी, बेलगाम, चामराजनगर, चिकमगलूर, दक्षिण कन्नड़, दावणगेरे, धारवाड़, गदग, हसन, हावेरी, कलबुर्गी, कोडागू, कोप्पल, मांड्या, मैसूरु, रायचूर, शिवमोगा, उडुपी, उत्तर कन्नड़, विजयपुरा, यादगिर ।
4.	केरल	इडुक्की, मल्लापुरम, वायनाड, कोझिकोड ।
5.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर, सांगली, सतारा, रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग, पालघर, नासिक, अहमदनगर ।
6.	ओडिशा	बलांगीर, सोनपुर, कालाहांडी, नुआपाड़ा, कोरापुट, मलकानगिरी, रायगडा, नबरंगपुर ।
7.	उत्तराखण्ड	उत्तरकाशी, चमोली :

परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जिनके कारबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, जुलाई, 2019 मास के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 66 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-7 में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से 20 सितंबर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी । ”।

[फा. सं. 20/06/07/2019-जीएसटी]

रुचि विष्ट, अवर सचिव

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना सं. 26/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 452(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31<sup>st</sup> August, 2019

**No. 40/2019 – Central Tax**

**G.S.R. 617(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Commissioner hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 26/2019-Central Tax, dated the 28<sup>th</sup> June, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 452(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2019, namely: -

In the said notification, after the portion beginning with the words “except as respects things done” and ending with the words, figures and letters “for the months of October, 2018 to July, 2019 till the 31<sup>st</sup> day of August, 2019”, the following provisos shall be inserted, namely: –

“Provided that the return by a registered person, required to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act in **FORM GSTR-7** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 under sub-section (3) of section 39 of the said Act read with rule 66 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for the month of July, 2019, whose principal place of business is in the district mentioned in column (3) of the Table below, of the State as mentioned in column (2) of the said Table, shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 20<sup>th</sup> September, 2019:–

TABLE

Sl. No.	Name of State	Name of District
(1)	(2)	(3)
1.	Bihar	Araria, Kishanganj, Madhubani, East Champaran, Sitamarhi, Sheohar, Supaul, Darbhanga, Muzaffarpur, Saharsa, Katihar, Purnia, West Champaran.
2	Gujarat	Vadodara.
3	Karnataka	Bagalkot, Ballari, Belagavi, Chamarajanagar, Chikkamagalur, Dakshina Kannada, Davanagere, Dharwad, Gadag, Hassan, Haveri, Kalaburagi, Kodagu, Koppal, Mandya, Mysuru, Raichur, Shivamogga, Udupi, Uttara Kannada, Vijayapura, Yadgir.
4	Kerala	Idukki, Malappuram, Wayanad, Kozhikode.
5	Maharashtra	Kolhapur, Sangli, Satara, Ratnagiri, Sindhudurg, Palghar, Nashik, Ahmednagar.
6.	Odisha	Balangir, Sonepur, Kalahandi, Nuapada, Koraput, Malkangiri, Rayagada, Nawarangpur.
7	Uttarakhand	Uttarkashi and Chamoli:

Provided further that the return by a registered person, required to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act in **FORM GSTR-7** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 under sub-section (3) of section 39 of the said Act read with rule 66 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for the month of July, 2019, whose principal place of business is in the State of Jammu and Kashmir shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 20<sup>th</sup> September, 2019.”.

[F. No. 20/06/07/2019-GST]  
RUCHI BISHT, Under Secy.

**Note :** The principal notification No. 26/2019- Central Tax, dated the 28<sup>th</sup> June, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 452(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2019.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2019

### सं. 41/2019-केन्द्रीय कर

**सा.का.नि. 618(अ).**—केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, करदाताओं के निम्नलिखित वर्ग द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलम्ब फीस की रकम का अधित्यजन करती है :-

- ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनके कारबार का मुख्य स्थान नीचे सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिले, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित राज्य में है, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, जिन्होंने मास जुलाई, 2019 के लिए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम,